

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू०अ०नि० (1) यो०बजट (योजना)-02/2022.....^{48/4}.....

प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर/भोजपुर (आरा)/नवादा
बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बाँका/लखीसराय/अरवल/अररिया/कटिहार/सीतामढ़ी/मधेपुरा/
शेखपुरा/पूर्णियाँ/मुंगेर
प्राचार्य,
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,
बोधगया
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना दिनांक :- 27/12/22

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद में कुल- **1,88,22,384.00** (एक करोड़ अठासी लाख बाईस हजार तीन सौ चौरासी) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	233000	0	400	10600	0	244000
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	52400	807376	6440	0	3000	869216
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा	13000	11000	0	0	0	24000
4	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बाँका	936275	89600	0	667184	0	1693059

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	479000	0	1207000	2000	0	1688000
6	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	800000	0	556000	13000	0	1369000
7	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	633600	0	818720	10000	0	1462320
8	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	0	0	200000	0	0	200000
9	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	0	0	1232080	11400	30000	1273480
10	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	1200000	113058	0	1439634	0	2752692
11	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	1100000	0	1680000	40000	0	2820000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	300000	469000	0	0	0	769000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	34680	16065	1240000	1000	0	1291745
14	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	91930	200000	73942	0	0	365872
15	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	1200000	0	750000	50000	0	2000000
कुल योग :-		7073885	1706099	7764582	2244818	33000	18822384

(एक करोड़ अठासी लाख बाईस हजार तीन सौ चौरासी) रूपये मात्र

नोट :-1. जीवन यापन भत्ता मद में अधियाचना के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता में आधिक्य राशि उपलब्ध कराया गया है, जिसे समेकित रूप से वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

नोट :-2. बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया, शिवहर, सहरसा, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के आवंटन अधियाचना में त्रुटि प्रतीत होने पर आवंटन निर्गत नहीं किया जा रहा है। त्रुटि रहित आवंटन अधियाचना प्राप्त होने पर तत्काल आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
11. आवंटित राशि से बकाया वेतन (एरियर) राशि की निकासी न की जाय। इसके लिए कर्मचार ब्योरा सहित अलग से राशि की माँग की जाय। यदि अलग से कर्मचार आवंटन की माँग किए बिना उपलब्ध कराए गए आवंटन से एरियर की राशि की निकासी की जाती है तथा इस कारण वेतनादि मद में यदि आवंटन में कमी होती है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे।


विश्वासभाजन


(अनिल कुमार सिंह)

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 27/12/22

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....4814.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 27/12/22

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....4814.....

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022...⁴⁸¹⁴.....

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक/लेखा शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :- 27/12/22

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक :- 27/12/22

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022...⁴⁸¹⁴.....

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक :- 27/12/22

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022...⁴⁸¹⁴.....

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण